

न्यायालय तहसीलदार सिवनी, जिला सिवनी म.प्र.

भूमि का प्रमाण पत्र

फाईल सं..... 368/9/21/2014-2015

दिनांक 25/06/2015

01. प्रमाणित किया जाता है कि उपपंजीयक सिवनी, जिला सिवनी म.प्र. के कार्यालय में पंजीकरण के ब्यौरे अनुसार. पुस्तक क्रमांक A1 खण्ड संख्या 4441 के पृष्ठ संख्या 44 से 49 तक में क्रम संख्या 2187 पर दिनांक 30 दिसंबर 2004 को विधिवत् पंजीकरण अधिकारी उपपंजीयक सिवनी के द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 2004 को निष्पादित विक्रय विलेख की शर्तों के अनुसार खसरा नंबर 179/2 में से 0.49 हे० भूमि ग्राम डूण्डासिवनी में स्थित है, इसमें, इसके पश्चात उल्लिखित अनुसूचीमें पूर्णतः वर्णित भूमि अध्यक्ष अनुराग शिक्षा समिति शिवपुरी (बरसला) पंजीक्रमांक जे.एस.3385 के निजि स्वामित्व में है जो कि प.ह.नं. 65 रा.नि.मं. भोमा तहसील व जिलासिवनी म.प्र.,जिसका खसरा नंबर 179/3 तथा 179/4 एवं रकबा 0.42 तथा 0.07हे० कुल रकबा 0.49 हे० है, उपरोक्त भूमि का एक ही प्लॉट है। जिस पर समिति द्वारा निर्मित भवन पर ज्ञान सागर अनुराग हा.से.विद्यालय संचालित है।

02. यह और प्रमाणित किया जाता है कि भूमि के स्वामी रामभरोस ठाकुर पिता चमरूलाल ठाकुर ग्राम डूण्डासिवनी ने अध्यक्ष अनुराग शिक्षा समिति शिवपुरी (बरसला) को दिनांक 19 जून 2015 को शाश्वत् पट्टा विलेख द्वारा कुल भूमि 0.60 हे० अकृषि भूमि 30 वर्ष की अवधि के लिये पट्टा विलेख/लीज डीड पर शैक्षणिक प्रयोजन एवं खेल के मैदान हेतु दी गई है। जो उपपंजीयक सिवनी के कार्यालय में पंजीकृत ब्यौरे के अनुसार पुस्तक क्रमांक A1 खण्ड संख्या 6084 के पृष्ठ संख्या 20 से 28 तक में क्रम संख्या क450 पर दिनांक 19 जून 2015 को विधिवत् पंजीकृत की गयी है और अभी भी पट्टादार समिति के कब्जे में है। भूमिस्वामी रामभरोस ठाकुर के द्वारा समिति को पट्टा विलेख में दी गयी भूमि प.ह.नं. 65 ग्राम डूण्डासिवनी, रा.नि.मं. भोमा तह. व जिला सिवनी म.प्र. में स्थित जिसका खसरा नंबर 179/1 तथा 179/2 रकबा 0.49 हे० तथा 0.11 हे० कुल भूमि 0.60 हे० है।

03. क्र. 01 से 02 में वर्णित भूमि जो समिति के निजि स्वामित्व में खसरा नं० 179/3 एवं 179/4 कुल 0.49 हे० तथा शाश्वत् पट्टा विलेख द्वारा प्राप्त भूमि का खसरा नंबर 179/1 एवं 179/2 कुल रकबा 0.60 हे० है।

वर्तमान में अध्यक्ष अनुराग शिक्षा समिति शिवपुरी(बरसला) के पास उपलब्ध कुल भूमि 1.09 हे० है जो कि समस्त भूमि एक दूसरे की सीमा से लगी हुई है अर्थात एक ही प्लॉट है और नीचे लिखे अनुसार घिरी हुई है।

उत्तर में नहर , दक्षिण में जगदीश बगैरह, पूर्व में शास. भूमि, पश्चिम में शांति बाई

सिवनी

दिनांक 25/06/2015

तहसीलदार
कार्यपालक डीडाधिकारी
आरक्षी क्षेत्र कोटिका





संयोजित सार्वजनिक पुस्तिका
संरचना
 यथा नमः (पंजाब संशोधन)
 संयोजित पुस्तिका संशोधन (पुस्तिका संशोधन) विवरण, 2020



CLR No. : 11103747096

पुस्तिका संशोधन			पुस्तिका संशोधन		पुस्तिका संशोधन			पुस्तिका संशोधन		पुस्तिका संशोधन	
पुस्तिका संशोधन	पुस्तिका संशोधन	पुस्तिका संशोधन	पुस्तिका संशोधन	पुस्तिका संशोधन	पुस्तिका संशोधन	पुस्तिका संशोधन	पुस्तिका संशोधन	पुस्तिका संशोधन	पुस्तिका संशोधन	पुस्तिका संशोधन	पुस्तिका संशोधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118574 0943	1793 (2)		0.4250 हेक्टर	असल अग्रज भूमि संशोधन (संशुद्धि) संशोधन अग्रज भूमि संशोधन 2020 संशोधन अग्रज भूमि संशोधन संशोधन	1						
800YPR DOP24 EHO			6.2100.00								<p>असल अग्रज भूमि संशोधन (संशुद्धि) संशोधन अग्रज भूमि संशोधन 2020 संशोधन अग्रज भूमि संशोधन संशोधन</p> <p>संशोधन अग्रज भूमि संशोधन (संशुद्धि) संशोधन अग्रज भूमि संशोधन 2020 संशोधन अग्रज भूमि संशोधन संशोधन</p>



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-सूचिका
सूचिका
 प्रथम खंड (विभाग 6 डीके)
 मध्य प्रदेश भू-सूचना सूचिका (भू-सूचना तथा भू-सूचिका) विभाग, 2020

CLR No. : 1110375022

बन-सूचिकाएँ			पंजीयन प्रकार: सुचिकाएँ			व्यक्तिगत सूचिकाएँ			श्रेणी सूचिकाएँ		वर्ष: 2024-2025			
पुनः सुचिकाएँ	पुनः सुचिकाएँ का प्रकार	पु. संख्या	1. संपादन (अनुप्राण/अनुप्राण) दिनांक में	2. पुनः सुचिकाएँ	1. सुचिकाएँ का नाम, पंजीयन प्रकार / यदि का नाम का प्रकार का	2. पंजीयन प्रकार	अधिक पुनः सुचिकाएँ का प्रकार	1. संपादन (अनुप्राण/अनुप्राण) का नाम, पंजीयन प्रकार / यदि का नाम का प्रकार का	2. पुनः सुचिकाएँ	3. यदि के-वर्गीय सं	पुनः सुचिकाएँ का प्रकार	पुनः सुचिकाएँ का प्रकार	पुनः सुचिकाएँ का प्रकार	पुनः सुचिकाएँ का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1105/A 0201	1784 03		0.4700 हेक्टर	अपवाद भूखण्ड सारा संपादन (अनुप्राण) का प्रकार का	1									1. पुनः सुचिकाएँ का प्रकार 2. पुनः सुचिकाएँ का प्रकार 3. अन्य सुचिकाएँ 4. यदि के-वर्गीय सुचिकाएँ (1) से (3) तक में वर्गीकृत में सुचिका के प्रकार
BOVD CDDP2 0040			र 350.00	अपवाद भूखण्ड सारा संपादन (अनुप्राण) का प्रकार का										1. संपादन (अनुप्राण/अनुप्राण) का नाम, पंजीयन प्रकार / यदि का नाम का प्रकार का 2. पुनः सुचिकाएँ 3. यदि के-वर्गीय सं



संयुक्त भू-सूचीकरण प्रक्रिया
संरचना
 कानून (विधि सं. 2019)
 संयुक्त भू-सूचीकरण अधिनियम (सं. 2019) विधि, 2020



CLR No. : 11103747096

सूचीकरण प्रक्रिया			सूचीकरण प्रक्रिया		सूचीकरण प्रक्रिया			सूचीकरण प्रक्रिया		सूचीकरण प्रक्रिया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118574 0943	1793 (2)	0.4250 हेक्टर	असल अग्रज भूमि सही (सिद्धी) संयुक्त भू-सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया	1. भू-सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 2. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 3. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया	1. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 2. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया	1. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 2. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 3. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया	1. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 2. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 3. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया	1. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 2. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 3. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया	1. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 2. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 3. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 4. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया	1. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 2. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 3. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 4. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया	1. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 2. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 3. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया 4. सूचीकरण प्रक्रिया के तहत सूचीकरण प्रक्रिया



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-रिकॉर्ड
 सुधारा
 क़रम चक्र (फ़िनल डे टैबल)
 मध्य प्रदेश भू-रक्षण अधिनियम (भू-रक्षण तथा भू-उपयोग) विधायक, 2020



CLR No. 11103750822

क़रम-सूचिकाएँ			पंजीयन क्रमांक/सूचिकाएँ		अंशिक भू-रक्षण का क्रमांक	पंजीयन विवरण			प्लॉट विवरण		वर्ष: 2024-2025
प्लॉट के प्लॉट की पहचान	प्लॉट के नाम का पंजीयन/संकेत (पंजीयन क्रमांक)	प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	1. पंजीयन/सूचिकाएँ/प्लॉट नंबर 2. प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्ग मी.) 3. प्लॉट का नाम (यदि कोई हो) 4. प्लॉट का वर्ण (यदि कोई हो)	1. प्लॉट/प्लॉट का नाम, प्लॉट का क्षेत्रफल/प्लॉट का नाम तथा प्लॉट का वर्ण 2. प्लॉट का क्षेत्रफल 3. प्लॉट का नाम (यदि कोई हो)	1. प्लॉट का नाम, प्लॉट का क्षेत्रफल/प्लॉट का नाम तथा प्लॉट का वर्ण	प्लॉट का वर्ण (यदि कोई हो)	प्लॉट का नाम (यदि कोई हो)	प्लॉट का क्षेत्रफल (यदि कोई हो)	प्लॉट के वर्ण	प्लॉट के वर्ण का वर्ण	1. प्लॉट के वर्ण का वर्ण 2. प्लॉट का क्षेत्रफल 3. प्लॉट का नाम (यदि कोई हो) 4. प्लॉट का वर्ण (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1105/A 0291	1784 03	0.4700	अपराध भू-रक्षण विधायक (पंजीयन क्रमांक 3385) का विवरण/प्लॉट नंबर	1							प्लॉट का वर्ण 50 वर्ग मी. (दिनांक 18.04.2006) का प्लॉट नंबर 09 के अन्तर्गत प्लॉट नंबर 1784 का क्षेत्रफल 700 वर्ग मी. (यदि कोई हो) पंजीयन विवरण। पंजीयन क्रमांक/सूचिकाएँ/प्लॉट नंबर/प्लॉट का वर्ण/प्लॉट का नाम/प्लॉट का क्षेत्रफल/प्लॉट का नाम (यदि कोई हो)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AV 075228

15 OCT 2020

उपरोक्त रच. आर. फेल को दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रदाय की गई।

वकात/कागज कावचन पत्र
 क्रमांक 8/4003
 तारीख क्रमांक 1/06/20

उपरोक्त
 सिविल

8/4003
 20090
 को प्राप्त
 को प्राप्त
 को प्राप्त
 को प्राप्त
 को प्राप्त

Photo Copy

उपरोक्त
 सिविल

क्रमांक 2499 तारीख 12/10/2020

प्राप्तकर्ता: डॉ. राजेश कुमार शर्मा
पता: सुन्दर नगर
प्रमाणित: रामदेव

[Handwritten Signature]

डॉ. राजेश कुमार शर्मा
[Handwritten Signature]
सुन्दर नगर

SENIOR...
STAMP
n 6 OCT 2020

19 JUN 2015

क्र. 1004 से 1010 एड्डि. 19.6.2015 क/450
(चौतिस हजार रुपये)

अध्यक्ष अनुसूचित शिक्षा समिति

शिवपुरी बरसला अध्यक्ष चंद्रेश्वर ठाकुर 20000x1=20000 -A-316568

पिता श्री हीरालाल ठाकुर लानसरा 10000x1=10000 -B-766571

तह. केवलारी जि. सिवनी 1000x3=3000 -C-061832से34113

श्री रामभरोस पिता श्री चमरू ठाकुर 5000x2=10000 -R-752863से64119

हा. डूडासिवनी तह. सिवनी 7= 34000

किरायानामा

ह. दिलीवल्लिारी
मु. वि. सिवनी

ह. के.

चंद्रेश्वर ठाकुर

किरायानामा

(तीस वर्षों की कालावधि का पट्टा/बीजबीज)

किरायानामा कीमत:- 6,76,000/- (छ: लाख छैयात्तर हजार रुपये)
स्टाम्प डिवटी :- 34,000/-

पक्ष कं.01 भूमि मालिक:- रामभरोस उम्र लगभग 38 वर्ष पिता श्री चमरू ठाकुर, जाति किरार (अ.पि. व.) निवासी मु. डूडासिवनी, तह. व जिला सिवनी म.प्र. राष्ट्रीयता भारतीय।
(मतदाता परि.प.कं. GQX1585983 निर्वा. अधि. सिवनी द्वारा जारी किया गया)

पक्ष कं.02 किरायेदार:- अध्यक्ष- "अनुसूचित शिक्षा समिति" शिवपुरी (बरसला), तह. व जिला सिवनी का पं.कं. जे.एस.3385, दिनांक 23.08.1997 श्री चंद्र केशव ठाकुर उम्र लगभग 38 वर्ष पिता श्री हीरालाल ठाकुर जाति किरार (अ.पि.व.) निवासी मु. डूडासिवनी, तह. केवलारी जिला सिवनी म.प्र. राष्ट्रीयता भारतीय।
(आधार परि.प.कं. 3627 2242 8560 भारत सरकार द्वारा जारी किया गया)

पक्ष कं.01 और पक्ष कं.02 के मध्य किरायेदारी निम्नानुसार निष्पादित की जा रही है:-
यहकि पक्ष कं.02 किरायेदार ने पक्ष कं.01 भूमि मालिक के नाम से स्थित मौजा- डूडासिवनी, पहनं.65/34, रानिमं. भोमा, तह. व जिला सिवनी में स्थित खसरा नं. 179/1, 179/2 रकबा कमश: 0.49, 0.11 हे. कुल रकबा 0.60 हे. भूमि "अकृषि मद" भूमि को निम्न शर्तों पर आज दिनांक से अगले तीस वर्षों के लिये किराये पर दिया है।

2. यहकि उक्त भूमि को पक्ष कं.01 भूमिस्वामी द्वारा पक्ष कं.02 किरायेदार को वार्षिक किराया 45,000/- (पैंतालिस हजार रुपये) की दर से भुगतान करेगा जोकि प्रतिवर्ष जुलाई माह तक प्राप्त कर सकेगा, तथा प्रतिवर्ष उक्त किराया राशि में 5,000/- (पांच हजार रुपये) की दर से वृद्धि की जायेगी जोकि पक्ष कं.02 किरायेदार को स्वीकार है।

3. यहकि उक्त किरायेदार द्वारा किराये पर दी गई भूमि का उपयोग शिक्षण संस्थान संचालन एवं खेल मैदान के निर्माण हेतु आवश्यकता सामग्री एवं इसके विकास हेतु अन्य कार्य के लिये किया जायेगा, जरूरत के अनुसार पक्ष कं.02 किरायेदार को पक्ष कं.01 भूमि मालिक की लिखित या मौखिक अनुमति लेना की आवश्यकता नहीं होगी, स्वयं किरायेदार इस कार्य हेतु स्वतंत्र होगा।

.....2.....

19.06.2015 तारख
मु. वि. सिवनी

8
4003

रामभरोस ठाकुर

श्री चंडू केशव ठाकुर
 डा० हीरा लाल ठाकुर

जिस द्वारा उप-जिला सिवनी
 जिला सिवनी के उप-पंजीयक
 सिवनी के समक्ष आवेख
 श्री. म. गुणम पत्रात
 प्रस्तुत किया गया :

- (*) दल मुद्रांक शुल्क 34000
- (*) जनपद शुल्क
- (*) नगर पालिका शुल्क
- (*) उपकर
- (*) अन्य शुल्क 34000

19 JUN 2015

हस्ता/आर.आर. ता
 बरि उप पंजीयक सिवनी

उप-पंजीयक सिवनी

उप-पंजीयक, सिवनी

~~श्री चंडू केशव ठाकुर~~
 अध्यक्ष
 जनसभा शिक्षा समिति शिवपुरी
 बरसवा, जिला-सिवनी (म.प्र.)

श्री राम भरोस
 डा० चमड ठाकुर
 अलि छिहार
 स्या. कुंठा सिवनी
 सह. जि. सिवनी

आस्था-अनुराग शिक्षा
 समिती, शिवपुरी बरसवा
 श्री चंडू केशव ठाकुर डा० श्री
 हीरा लाल ठाकुर अलि
 छिहार स्या. सगरा
 सह. कुवलारी जि. सिवनी

जिनमें कायमनाम रूप में जानता है
 स्व. कार करते हैं कि क्या कविता
 विरोध का विचार किया गया और
 म.प्र. के ...
 भारत की ...
 देश उप-पंजीयक में ...
 शासन का ...
 रक्ष गया है श्री पंजीयक के ...
 दिनांक ... 19 JUN 2015

जिनमें कायमनाम रूप में जानता है
 स्वीकार करते हैं कि क्या कविता
 विरोध का विचार किया गया और
 म.प्र. के ...
 भारत की ...
 देश उप-पंजीयक में ...
 शासन का ...
 रक्ष गया है श्री पंजीयक के बाद प्राप्त हो
 दिनांक ... 19 JUN 2015

- ① भूपे सिंह डा० सुधीर लाल ठाकुर स्या. बरसवा सह. जि. सिवनी
- ② आश्वनी कुमार डा० अलराम ठाकुर स्या. सगरा सह. जि. सिवनी

श्री जयि उप-पंजीयक निष्पादक
 अधिकर्ता की पहचान के सिद्ध
 की गई है।
 दिनांक 19 JUN 2015

उप-पंजीयक सिवनी
 हस्ता/आर.आर. ता
 बरि उप पंजीयक सिवनी



1/2/1

4. यहकि पक्ष कं.02 किरायेदार किसी भी प्रकार का उपकिरायेदार रखता है या कोई अनैतिक कार्य करता है जो विधि द्वारा प्रतिबंधित हो तो पक्ष कं.02 को अधिकार होगा कि वह वैधानिक कार्यवाही करे तथा विधि विरुद्ध कार्य हेतु स्वयं किरायेदार जिम्मेदार रहेगा।
5. यहकि उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का कोई नया निर्माण कार्य पक्ष कं.02 किरायेदार द्वारा भविष्य में कराया जाता है तो उसके लिये विधिवत शासन द्वारा अनुमति प्राप्त कर कराया जायेगा जिसमें पक्ष कं.01 भूमि मालिक को कोई आपत्ति या उजर नही होगी और न ही उसके वारसानो को होगी।
6. यहकि उक्त भूमि पर भविष्य में शिक्षण संस्थान संचालित करने हेतु लगने वाले समस्त खर्च, बिल जैसे बिजली, टेलीफोन, नल का भुगतान स्वयं पक्ष कं.02 किरायेदार द्वारा निर्धारित समय पर किया जायेगा किसी भी प्रकार की बिलो से संबंधित चूक या भुगतान में देरी पर होने वाला खर्च या जुर्माना हेतु किरायेदार पक्ष कं.02 जिम्मेदार रहेगा।
7. यहकि उक्त भूमि को खाली करते समय सभी प्रकार का लेन-देन चुकता करने के बाद भूमिस्वामी को भूमि किरायेदार द्वारा वापिस कर दी जायेगी।
8. यहकि उक्त भूमि पर शिक्षण संस्थान हेतु एवं खेल के मैदान हेतु जो भी शासकीय योजनांगत अनुदान, दान या किसी भी प्रकार की सहायत राशि, शासकीय फंड या अन्य ऐसी वित्तीय सहायता या अनुदान दी जाती है तो वह किरायेदार को दिये जाने में भूमि मालिक पक्ष कं.01 को कोई आपत्ति या उजर नही होगी, और न ही उक्त राशि हेतु कोई भी हक या दावेदारी की जायेगी।
9. यहकि उक्त भूमि पर पक्ष कं.02 की समिति द्वारा शिक्षण संस्थान एवं खेल के मैदान की उन्नति एवं विकास हेतु जो भी कार्य निष्पादित किये जायेंगे वह पक्ष कं.01 भूमि स्वामी एवं उसके वारसानो को स्वीकार होंगे।
- 10 यहकि भविष्य में किसी कारणवश पक्ष कं.01 भूमिमालिक की मृत्यु हो जाती है या वह शासन से दीवालिया या पागल घोषित हो जाता है तो भी उसके वारसान इस किरायानामा अवधि को मानने हेतु बाध्य होंगे। तथा पक्ष कं.02 को अधिकार रहेगा की इस किरायानामा अवधि में कब भूमि को किरायामुक्त करता है।

8/4003

रामभोस ठाकुर

पार.अर. सा.क
की.क. ०.०

7
8

नी

किराया
और

व प्रा.बं. हो

15

रिक्वनी
रिक्वनी

प.क
के



शमभरोस ठाडुर

वरदास / निष्पादक / पत्रिक / आसकड
शमभरोस ठाडुर
ठगुण्ड का निशान मेरे समक्ष लिया गया
दिनांक 19 JUN 2015

हरदा. / आर.आर. तारम
धरि उप पंजीयक दिल्ली

उप पंजीयक
दिल्ली



शमभरोस ठाडुर
अध्यक्ष
वसुधा शिक्षा सचिवालय दिल्ली

वरदास / निष्पादक / पत्रिक / आसकड
शमभरोस ठाडुर
ठगुण्ड का निशान मेरे समक्ष लिया गया
दिनांक 19 JUN 2015

हरदा. / आर.आर. तारम
धरि उप पंजीयक दिल्ली

उप पंजीयक
दिल्ली

जुलै

Handwritten signature and scribbles

Small handwritten marks

लिहाजा यह किरायानामा पढ-सुनकर समझकर पढवाकर बगैर किसी नशापानी के बगैर किसी दबाव के लिख दिया की सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे। फक्त ता0 19/06/2015 म. कदीपक तिवारी (दस्तावेज लेखक सिवनी)

हस्ता0 पक्ष कं.02 किरायेदार

हस्ता0 पक्ष कं.01 भूमि मालिक

श्री केशव दास
बलराम तिवारी समिति (कावपुरी)
अवकाश विभाग (सिवनी)

शमशेर सिंह ठाकुर

पता :- 1. हस्ता0

नाम-भूपे सिंह पिता श्री खूशीलाल ठाकुर
पता-मु.बरसला, तह. व जिला सिवनी म.प्र.।
(अवकाश परि.कं.5989 2137 8398 भारत सरकार द्वारा जारी किया गया)

2.हस्ता0 अश्विनी

नाम-अश्वनी कुमार पिता-श्री बलराम ठाकुर
पता-मु.पांजरा, तह. व जिला सिवनी
(आई. परि.कं.MP22N-2010-0028485 जिला अति.परि. अधि. सिवनी द्वारा जारी किया गया)

अत्य प्रतिलिपि

- (1) दस्तावेज लेखक का नाम-दीपक तिवारी
- (2) दस्तावेज का नाम- 1/2
- (3) दस्तावेज लेखक का पता- बरसला तह. व जिला सिवनी
- (4) दस्तावेज का क्रमांक- 19/06/15
- (5) पता- 20
- (6) जो गई फीस रकम- 8/4003
- (7) दस्तावेज लेखक के हस्ता- दीपक

का-दीपक (सिवनी)

19 JUN 2015

8/4003



गाईड लाईन नं. 200 - 200

सूचीकृत

संपत्ति	सेक्टर	...
1 कृषि भूमि		
2 भवन		
3 मू-खंड		
4 अन्य		
योग		

ए) प्रमाणित किया जाता है एक हम लिखित रूप में
 वृष्ट क्रमांक की पंक्ति क्रमांक
 में उचित बना है।
 द्वारा प्रमाणित किया जाता है।
 (२) प्रमाणित किया जाता है एक हम लिखित रूप में
 काट छांट करी है।
 (३) पास मोहल्ला
 राजीव इकाई
 के सूची क्र. २ में उचित क्रमांक
 एवं इस हस्ताक्षर की प्रमाणित की गई है।
 हस्ताक्षर तारम
 यदि हम फंजीमक सिवनी

एन-एचओए
 सिवनी

19 JUN 2015

बाब तारमक बाब
 19 की प्रमाणित क्रमांक 91
 एवं 6084 के गृह 20 से 28
 हस्ताक्षर 8450 द्वारा प्रमाणित किया
 हस्ता/आर.आर तारम
 यदि हम फंजीमक सिवनी

835

8/4003



वृष्टिक शुल्क 34000
 राजीव शुल्क 5408
 राजीव शुल्क
 वृष्टिक शुल्क
 राजीव शुल्क
 प्रभा शुल्क
 कुल योग- 5408

सत्य प्रतिलिपि

एन-एचओए (सिवनी)

15 OCT 2020

शेखा-2